

3. कर्मचारियों को स्थानांतरण पर मिलने वाली सुविधायें नियमानुसार देय हैं।
4. यदि कर्मचारियों के पास वर्तमान स्टेशन पर रेलवे आवास हो तो स्थानांतरण के पूर्व नियमानुसार खाली करवायें एवं इसे ही अंतिम सूचना मानें।

परिवर्तन की तिथि से सर्वसंबंधितों को अवगत करायें।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by DEEPAK PARMAR

Date: 05-11-2020 15:00:52

Reason: Approved (DEEPAK PARMAR)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते: वरि.मं.का.अ./रतलाम

**प्रतिलिपि:-**

वरि.मं.वि.प्रबं., वरि.मं.वि.इंजी.(क.वि.), मं.वि.इंजी.(क.वि.), सहा.वि.इंजी.(क.वि.)- रतलाम, उज्जैन

वरि.मं.वि.इंजी.(क.परि.), मं.वि.इंजी.(क.परि.), सहा.वि.इंजी.(क.परि.)- रतलाम,

वरि.से.इंजी.(ओएचई)-मकसी, वरि.से.इंजी.(पीएसआई)-लक्ष्मीबाईनगर, सीटीसीसी- रतलाम

मु.का.अधी.- टीआरडी, टीआरओ, ई-वेतन, से.पु.लिपिक, पास, आवास, वा.वे.वृ., वै.मि., प्राईम सेल,  
मुकानि

संबंधित कर्मचारी, डब्ल्यूएलआई-रतलाम

मंडल मंत्री- वेरेमसं, वेरेएयू / सचिव-एससीएसटी एसौ.,ओबीसी एसौ.- रतलाम

3. कर्मचारियों को स्थानांतरण पर मिलने वाली सुविधायें नियमानुसार देय हैं।
4. यदि कर्मचारियों के पास वर्तमान स्टेशन पर रेलवे आवास हो तो स्थानांतरण के पूर्व नियमानुसार खाली करवायें एवं इसे ही अंतिम सूचना मानें।

परिवर्तन की तिथि से सर्वसंबंधितों को अवगत करायें।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

Signed by DEEPAK PARMAR

Date: 05-11-2020 15:00:52

Reason: Approved (DEEPAK PARMAR)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते: वरि.मं.का.अ./रतलाम

**प्रतिलिपि:-**

वरि.मं.वि.प्रबं., वरि.मं.वि.इंजी.(क.वि.), मं.वि.इंजी.(क.वि.), सहा.वि.इंजी.(क.वि.)- रतलाम, उज्जैन

वरि.मं.वि.इंजी.(क.परि.), मं.वि.इंजी.(क.परि.), सहा.वि.इंजी.(क.परि.)- रतलाम,

वरि.से.इंजी.(ओएचई)-मकसी, वरि.से.इंजी.(पीएसआई)-लक्ष्मीबाईनगर, सीटीसीसी- रतलाम

मु.का.अधी.- टीआरडी, टीआरओ, ई-वेतन, से.पु.लिपिक, पास, आवास, वा.वे.वृ., वै.मि., प्राईम सेल,  
मुकानि

संबंधित कर्मचारी, डब्ल्यूएलआई-रतलाम

मंडल मंत्री- वेरेमसं, वेरेएयू / सचिव-एससीएसटी एसौ.,ओबीसी एसौ.- रतलाम